

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 140]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 फरवरी 2021 — फाल्गुन 3, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

अधिसूचना
संख्या 95/2020-राज्य कर

क्रमांक एफ 10-08/2021/वाक/पांच (17).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम 2017 (2017 का 7) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 80 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 44 के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 80 के अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी को, सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की समय सीमा को, वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक विवरणी के लिए, 28-02-2021 तक विस्तार करती हैं।

2. यह अधिसूचना 30 दिसंबर, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 10-08/2021/वाक/पांच (17).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-08/2021/वाक/पांच (17), दिनांक 09-02-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 9th February 2021

NOTIFICATION
No. 95/2020 – State Tax

No. F 10-08/2021/CT/V(17).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with rule 80 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), State Government, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing of the annual return specified under section 44 of the said Act read with rule 80 of the said rules, electronically through the common portal, for the financial year 2019-20 till 28-02-2021.

2. This notification shall be deemed to have come in to force on 30th December 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.